निविदा सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय,कानपुर देहात परिसर स्थित माती के दक्षिणी–पूर्वी कोने की ओर स्थित साइकिल स्टैण्ड एवं दक्षिणी–पश्चिमी कोने की ओर स्थित जलपान गृह एवं तीन दुकानों (लेखन सामग्री, फोटोकॉपी एवं कम्प्यूटर टाईपिंग) के नीलमी हेतु प्रकिया वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दिनांक– 06.03.2024 को समय 4.30 बजे जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के मीटिंग हॉल में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी,।

निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, स्टेशनरी शाप, फोटोकापी शाप एवं टाइपिंग शाप की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण कर केन्द्रीय नजारत में दिनाँक 05.03.2024 तक सील बन्द निविदा प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं–

निविदा की शर्ते व नियम

1. ठेके देने की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।

2. जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, स्टेशनरी, फोटोकापी एवं टाइपिंग शाप का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

3. दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, स्टेशनरी, फोटोकापी एवं टाईपिंग शाप को ठेके पर उठाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय निम्नविवरण अनुसार धनराशि का बैक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।

क	**साइकिल स्टैण्ड**	सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि	30000/–
ख	**जलपान गृह**	सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि	20000/–
ग	**स्टेशनरी शाप**	सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि	10000/–
घ	**फोटोकापी शाप**	सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि	10000/–
ड	**टाईपिंग शाप**	सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि	10000/–

4. निविदा के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0डी0 जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा जनपद न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।

6. स्वीकृति निविदा के उपरान्त निविदादाता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 15.03.2024 तक जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।

7. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जायेगी।

8. ठेके की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात महोदय द्वारा की जायेगी।

9. निविदा प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।

10. उपरोक्त साइकिल स्टैण्ड, जलपान गृह एवं तीन दुकानों के उपयोग की अवधि दिनांक-31.03.2025 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा उपरोक्त का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक-27.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(रवि यादव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज कोर्ट नं0-4
कानपुर देहात।